भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 532

(जिसका उत्तर सोमवार, 06 फरवरी, 2023/17 माघ, 1944 (शक) को दिया गया)

पीएसयू द्वारा सीएसआर पर खर्च

532. श्री अनुराग शर्माः

श्री डी.एम. कथीर आनन्दः

डॉ. टी. सुमति(ए) तामिझाची थंगापंडियनः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत सात वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और गैर-सरकारी क्षेत्र की इकाइयों द्वारा कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर किए गए कुल व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को गांवों और ग्रामीण अवसंरचना के विकास के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और गैर-सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों से कोई राशि प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार के पास यह जांचने के लिए कोई जांच और निगरानी प्रणाली है कि सीएसआर निधियों को उक्त प्रयोजनों के लिए वास्तव में खर्च किया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके लिए पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों से कितनी धनराशि प्राप्त हुई है और उक्त अवधि के दौरान किए गए व्यय का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क): कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 135, इस अधिनियम की अनुसूची VII और कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के तहत सीएसआर का व्यापक ढांचा प्रदान किया गया है। कंपनियों द्वारा एमसीए21 रजिस्ट्री में फाइल किया गया समस्त डाटा सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है जिसे www.csr.gov.in पर देखा जा सकता है। एमसीए21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा की गई वार्षिक फाइलिंग के आधार पर, वित्त वर्ष 2014-15 से 2020-21 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और गैर-पीएसयू द्वारा किया गया कुल सीएसआर व्यय निम्नानुसार है:

कंपनी का प्रकार	कुल व्यय राशि (करोड़ रु. में)
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू)	**27991.45**
गैर-पीएसयू	**98950.83**
कुल योग	**126942.28**

(आंकड़े 30.09.2022 तक) [स्रोत: राष्ट्रीय सीएसआर डाटा पोर्टल]

जारी...2/-

(ख) और (ग): अधिनियम की अनुसूची VII कार्यकलापों की उस पात्र सूची को दर्शाती है जिन्हें कंपनियों द्वारा सीएसआर के रूप में प्रारंभ किया जा सकता है। मंत्रालय ने सामान्य परिपत्र सं. 21/2014 दिनांक 18 जून, 2014 और 14/2021 दिनांक 25 अगस्त, 2021 में स्पष्ट किया था कि अनुसूची VII में उल्लिखित मद व्यापक है और उनकी उदारतापूर्वक व्याख्या की जा सकती है। अनुसूची VII की मद सं. (X) में पात्र सीएसआर कार्यकलापों के रूप में "ग्रामीण विकास" शामिल है। एमसीए21 रजिस्ट्री में की गई फाइलिंग के आधार पर वित्त वर्ष (वि.व.) 2014-15 से 2020-21 के दौरान "ग्रामीण विकास" में पीएसयू और गैर-पीएसयू द्वारा किया गया कुल सीएसआर निम्नानुसार व्यय है:

'ग्रामीण विकास' क्षेत्र में सीएसआर व्यय (करोड़ रु. में)	
कंपनी का प्रकार	**कुल व्यय राशि (करोड़ रु. में)**
पीएसयू	**2,876.63**
गैर-पीएसयू	**9,424.62**
कुल योग	**12,301.25**

(आंकड़ें 30.09.2022 तक) [स्रोत: राष्ट्रीय सीएसआर डाटा पोर्टल]

(घ): सीएसआर ढांचा प्रकटन पर आधारित है और सीएसआर अधिदेशित कंपनियों द्वारा एमसीए21 रजिस्ट्री में वार्षिक रूप से सीएसआर कार्यकलापों का ब्यौरा फाइल करना अपेक्षित है। अनिवार्य प्रकटन, सीएसआर समिति तथा बोर्ड की जवाबदेही, कंपनी के लेखों की सांविधिक लेखापरीक्षा के प्रावधान, इत्यादि जैसे मौजूदा विधिक प्रावधानों सहित कारपोरेट गवर्नेंस ढांचा इस संबंध में सुरक्षोपाय प्रदान करता है। जब कभी भी सीएसआर प्रावधानों के उल्लंघन की रिपोर्ट प्राप्त होती है, तो रिकॉर्डों की सम्यक जांच और कानून की सम्यक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार ऐसी गैर-अनुपालनकर्ता कंपनियों के विरूद्ध कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। इसके अतिरिक्त, कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 में 22 जनवरी, 2021 को अधिसूचित संशोधनों ने अधिक वस्तुनिष्ठता, पारदर्शिता लाकर, बोर्ड को अधिक से अधिक दायित्व सौंपकर और कंपनियों द्वारा प्रकटन को बढ़ाकर सीएसआर पारितंत्र को सुदृढ़ बनाया।

(ड.): वित्त वर्ष 2014-15 से 2020-21 के दौरान, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और निजी कंपनियों के द्वारा "ग्रामीण विकास" क्षेत्र में व्यय किए गए सीएसआर फंड का ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

*****

अनुलग्नक

दिनांक 06.02.2023 के लोकसभा के अतारांकित प्रश्न सं. 532 के भाग (ड.) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

राज्य-वार ग्रामीण विकास क्षेत्रों में सीएसआर व्यय (राशि करोड़ रु. में)							
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्त 2014-15	वित्त 2015-16	वित्त 2016-17	वित्त 2017-18	वित्त 2018-19	वित्त 2019-20	वित्त 2020-21
अंडमान और निकोबार	-	-	-	-	0.53	0.67	1.22
आंध्र प्रदेश	30.87	97.45	49.67	58.60	119.94	83.79	144.80
अरुणाचल प्रदेश	0.85	0.30	4.79	0.15	0.46	-	0.07
असम	13.51	2.78	46.83	6.10	10.60	6.29	9.21
बिहार	2.93	10.56	12.18	11.91	22.06	5.34	1.28
चंडीगढ़	0.05	-	0.03	0.07	1.44	-	-
छत्तीसगढ़	41.88	20.80	6.32	13.98	17.00	12.37	15.74
दादरा और नगर हवेली	0.55	0.71	0.15	0.31	7.09	0.49	0.37
दमन और दीव	-	0.03	-	2.93	1.18	1.22	0.25
दिल्ली	6.70	5.47	8.50	17.82	50.91	6.11	3.05
गोवा	3.21	0.20	1.14	1.34	6.31	2.98	2.34
गुजरात	23.75	47.53	77.40	55.56	172.77	88.27	79.04
हरियाणा	15.09	21.53	31.32	34.69	36.57	23.31	8.19
हिमाचल प्रदेश	1.05	0.99	1.28	13.11	10.84	10.11	7.02
जम्मू और कश्मीर	2.77	2.87	1.84	1.35	0.59	-	1.25
झारखंड	19.04	11.69	10.83	13.01	14.35	21.57	21.81
कर्नाटक	21.33	36.52	55.33	78.52	87.17	62.05	52.77
केरल	3.61	6.07	6.22	31.99	52.07	6.26	36.58
लक्षद्वीप	-	0.15	-	-	-	-	-
मध्य प्रदेश	53.42	38.53	32.65	29.50	43.23	31.04	52.62
महाराष्ट्र	74.97	90.42	168.22	126.90	208.24	146.85	100.22
मणिपुर	-	0.15	-	0.13	0.59	-	1.07
मेघालय	0.18	0.10	0.39	2.03	1.21	5.00	1.44
मिजोरम	0.53	0.03	-	0.14	0.02	0.04	0.16
नागालैंड	0.44	0.12	-	-	0.08	-	0.37
एनईसी/उल्लिखित नहीं*	-	-	-	12.21	-	0.08	0.02
ओडिशा	97.02	113.99	76.53	90.87	116.33	67.42	240.26
समस्त भारत**	571.78	688.41	816.55	910.95	946.84	1,430.12	821.34
पुदुचेरी	1.02	0.55	0.02	0.04	1.09	0.13	1.05
पंजाब	0.30	0.91	9.41	6.97	10.76	16.98	4.94
राजस्थान	20.28	79.35	21.30	40.03	97.24	45.98	33.48
सिक्किम	0.23	-	1.85	1.22	0.25	0.40	0.59
तमिलनाडु	20.32	33.41	42.19	51.08	148.16	52.32	58.40
तेलंगाना	3.68	23.44	20.69	47.57	64.31	43.60	51.36
त्रिपुरा	-	0.23	0.16	0.18	0.21	0.38	0.77
उत्तर प्रदेश	10.45	23.28	26.45	29.57	136.08	111.30	55.06
उत्तराखंड	9.03	8.35	7.58	7.42	16.29	5.02	19.56
पश्चिम बंगाल	8.51	9.25	23.63	25.82	30.63	12.12	19.41
कुल योग	1,059.35	1,376.16	1,561.45	1,724.07	2,433.44	2,299.63	1,847.15

(आंकड़ें 30.09.2022 तक) [स्रोत: राष्ट्रीय सीएसआर डाटा पोर्टल]

*कंपनी ने राज्य के नाम निर्दिष्ट नहीं किए हैं जहां परियोजना चालू है।

**कंपनियों ने एक से अधिक राज्यों के नाम निर्दिष्ट किए हैं जहां परियोजना चालू है।

*****